

31 157  
निगा 333/2018/रीवा/क्षग

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा मध्यप्रदेश



1-राजेश कुमार यादव

2-रामकुमार यादव

3- उमेश कुमार यादव तीनों पिसरान स्व० रामविश्वास यादव

(सभी निवासी ग्राम महसुआ तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा मप्र०)

--निगरानीकर्ता

बनाम

1-छोटेलाल यादव तनय श्री रामकृपाल यादव

2-मु० यशोदा देवी बेवा पत्नी स्व० रामविश्वास यादव

3-श्रीमती बड़कीवा यादव पुत्री स्व० रामकृपाल यादव

4-श्रीमती शिवरसिया पुत्री स्व० रामकृपाल यादव

(निवासीगण महसुआ तह० रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा मप्र०)

--गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त महोदय

दिनांक 6.1.2018

अंतर्गत धारा 50 मप्रभूराजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- ग्राम पंचायत महसुआ के समक्ष रेस्पाडेन्ट ने वारिसाना के आधार पर एवं आवेदक राजेश यादव ने वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत महसुआ द्वारा रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आदेश को वारिसाना के आधार पर मानते हुए विचारणीय रखा एवं इस आवेदन के आधार पर रेस्पाडेन्ट के हित में नामांतरण कर दिया जबकि आवेदक के आवेदन को

R. Kesava

(31)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निम्न-3331/प्र.श./2018 जिला-रीवा

राजेश कुं यादव विरुद्ध दोरेनाल

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री प्रती भारती कर्मा.....अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 184/3/प्र.श./07-08.....में पारित आदेश दिनांक 26-01-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30-5-2018 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	